मेरे प्यारे देशवासियो!

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है। हमारी लड़ाई किसी दल या नेता के ख़िलाफ नहीं है। हम सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं।

देश के लोगों की मांग है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ एक ऐसा मजबूत जन लोकपाल कानून लाया जाए जिसके तहत जांच जल्दी पूरी हो, भ्रष्टाचारी जेल जाएं, उनकी संपत्ति ज़ब्त हो और उन्हें नौकरी से निकाला जाए। क्या हम कुछ गलत मांग रहे हैं?

दो महीने तक बातचीत का दौर चला। सरकार भ्रष्टाचार के ख़िलाफ छोटे कदम भी उठाने को तैयार नज़र नहीं आती। सरकार की नीयत साफ नहीं है। अन्य दलों के नेताओं से भी हम लोग मिल चुके हैं। सब कुछ करके देख लिया। लेकिन सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं है।

अगर सरकार एक सख़्त और स्वतंत्र लोकपाल कानून नहीं लाती तो हम 16 अगस्त से फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस पर हमें धमकी दी जा रही है कि हमें भी वैसे ही कुचल दिया जाएगा जैसे बाबा रामदेव के शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बरता से कुचला गया था।

साथियों, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ जंग में अगर हम इस बार चूक गये तो दूसरा मौका पता नहीं कब आयेगा? इस जंग में मैं और मेरे साथी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर वो हमें गिरफ्तार करेंगे तो हम खुशी-खुशी जेल चले जाएंगे। हम हंसते हुए लाठियां खायेंगे, पर हाथ नहीं उठाएंगे। वो हमारे ऊपर गोलियां चलाएंगे, तो गोली खाकर जान दे देंगे पर भागेंगे नहीं। हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

''अगर 16 अगस्त को अनशन करोगे तो कुचल दिये जाओगे''- ऐसा उनका कहना है। ''जंतर मंतर पर धारा 144 लगा देंगे''- ऐसा उनका सोचना है। पर मेरा कहना है- यदि 16 अगस्त को हर भारतवासी अपने काम से छुट्टी लेकर सड़क पर उतर आये, अपने घर के सामने, अपने मोहल्ले में, चौराहे पर, पूरा देश यदि हाथों में तिरंगा झंडा उठाकर "भारत मां की जय" का नारा लगाते हुए सड़कों पर उतर आये तो उनकी पुलिस और लाठियां कम पड़ जाएंगी। हर आदमी अन्ना हज़ारे होगा। एक अन्ना हज़ारे को तो गिरफ्तार कर लेंगे, क्या 120 करोड़ अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर सकेंगे? एक जंतर मंतर पर तो धारा 144 लगा देंगे। क्या पूरे देश में धारा 144 लगाएंगे? और मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुलिस और फौज के जवान भी हमारे साथ हैं। राजघाट के अनशन में कई पुलिस वालों ने हमें दान दिया। चौराहों पर रोक कर ट्रैफिक पुलिस वाले हमें प्रोत्साहित करते हैं।

क्या 16 अगस्त से आप छुट्टी लेकर मेरे साथ सड़कों पर उतरेंगे? इस बार देश को 15 अगस्त का नहीं, 16 अगस्त का इंतजार होगा।

आपका अपना

अन्ना हज़ारे

इस पर्चे की अधिक से अधिक प्रतियां करके बांटे

''सरकारी लोकपाल बिल बहुत ख़तरनाक है''

ऐसा लगता है कि सरकारी बिल का उद्देश्य सरकारी भ्रष्टाचार को कम करने की बजाय भ्रष्टाचार के ख़िलाफ आवाज़ उठाने वालों को सबक सिखाना और उन्हें ठिकाने लगाना है।

जहां एक तरफ सरकारी लोकपाल बिल के दायरे में नाम मात्र के कुछ सरकारी अधिकारी आएंगे, वहीं दूसरी तरफ इसके दायरे में देश भर की सारी समाजसेवी संस्थाएं और संगठन आयेंगे। चाहे वो सरकार से फंड लेते हो अथवा नहीं। सवाल उठता है कि ये लोकपाल बिल आखिर है किसके लिए?

देश में केंद्र और राज्य सरकारों में कुल मिलाकर सवा करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से केवल केंद्र सरकार के अधीनस्थ 65,000 ग्रुप ए अधिकारी ही लोकपाल के दायरे में आयेंगे। बाकी के कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आयेंगे।

तो इस तरह सरकारी लोकपाल कानून में पुलिस, राशन, अस्पताल, शिक्षा, सड़क, उद्योग, पंचायत, नगरपालिका, वन विभाग, सिंचाई विभाग, लाइसेंस, पेंशन, रोडवेज़ जैसे तमाम विभागों के भ्रष्टाचार को जांच से बाहर रखा गया है। प्रश्न उठता है कि आम आदमी इन विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर कहां जाएगा?

दूसरी तरफ देश की सभी समाजसेवी संस्थायें, संगठन, जनांदोलन, नागरिक समूह- चाहे छोटे हों या बड़े, पंजीकृत हों या नहीं, गांव-गांव के स्तर तक- सभी इसके दायरे में आयेंगे।

इसका मतलब किसी गांव में यदि कुछ लड़के मिलकर पंचायत में भ्रष्टाचार उजागर करते हैं तो पंचायत का भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करने वाले सरपंच, बीडीओ आदि लोकपाल के दायरे में नहीं आयेंगे बल्कि उस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ आवाज़ उठाने वाले लड़कों को लोकपाल गिरफ्तार कर सकता है।

रामलीला, दुर्गा पूजा और मुहर्रम आयोजित करने वाली सभी संस्थायें, मार्केट एसोसिएशन, रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन इसके दायरे में आयेंगे।

हम इस बात से सहमत हैं कि संस्थाओं और संगठनों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन उनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट, FCRA आदि मौजूद हैं। लोकपाल कानून तो सरकारी भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए था, लेकिन अगर सभी नागरिक संगठनों को इसके दायरे में लाया जा रहा है तो सभी कंपनियों और मीडिया घरानों को भी इसके दायरे में क्यूं न लाया जाए।

सरकारी लोकपाल बिल भ्रष्टाचारियों के चारों तरफ किला बनाकर उन्हें सुरक्षित करता है।

सरकारी लोकपाल कानून के मुताबिक भ्रष्ट अधिकारी को यह हक होगा कि शिकायतकर्ता के ख़िलाफ सीधे कोर्ट में मुकदमा दायर कर सके कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत झूठी है। शिकायतकर्ता के ख़िलाफ कोर्ट में मुकदमा करने के लिए सरकार भ्रष्ट अफसर को मुफ्त वकील देगी। बेचारा शिकायतकर्ता अपने लिए वकील कहां से लायेगा? शिकायत झूठी साबित होने पर शिकायतकर्ता पर दो वर्ष का न्यूनतम कारावास। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार साबित होने पर भ्रष्ट अधिकारी पर न्यूनतम केवल छः महीने का कारावास।

	सरकारी लोकपाल क्या कहता है?	अन्ना का जन लोकपाल क्या कहता है?
प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार	प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करे तो उसकी जांच सीबीआई करें, न कि लोकपाल।	सीबीआई तो प्रधानमंत्री के ही अधीन है। वह अपने आका के ख़िलाफ जांच कैसे करेगी? अगर सरकार को प्रधानमंत्री की जांच नहीं करवानी तो सीधे-सीधे संविधान को संशोधित करके उन्हें जांच के बाहर कर दें। सीबीआई से जांच कराने का ढोंग क्यों करते हैं? अन्ना का कहना है कि लोकपाल स्वतंत्र एजेंसी है। वह प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की जांच करे।
जजों का भ्रष्टाचार	कोई जज रिश्वत ले तो उसी कोर्ट के तीन जजों की कमेटी उसकी जांच की अनुमति दे।	उसी कोर्ट के तीन जजों की कमेटी अपने ही बंधु भ्रष्ट जज के ख़िलाफ अनुमति कैसे देगी? अन्ना का कहना है कि इसकी अनुमति लोकपाल की सात सदस्यों की बेंच खुली सुनवाई करके दे।
सांसदों का भ्रष्टाचार	यदि कोई सांसद रिश्वत लेकर संसद में वोट डाले या प्रश्न पूछे तो उसकी जांच सांसदों की ही कमेटी द्वारा की जाये।	पिछले 62 वर्षों में सांसदों और विधायकों द्वारा रिश्वत लेकर वोट डालने के कई मामले सामने आए। आज तक न ही किसी मामले में ईमानदार जांच हुई, न ही कोई जेल गया। सांसदों की समिति अपने ही सांसद भाई को जेल भेजेगी-ऐसा होने वाला नहीं है। अन्ना का कहना है कि इसकी जांच का जिम्मा स्वतंत्र लोकपाल के दायरे में हो।
कदम-कदम पर रिश्वतखोरी	आम आदमी किसी भी दफ्तर में कोई भी काम कराने जाता है- जैसे राशन कार्ड बनवाना, विधवा पेंशन, लाईसेंस इत्यादि- तो बिना रिश्वत उसका काम नहीं किया जाता। सरकारी बिल कहता है कि हर विभाग सिटीज़न चार्टर बनाएगा जिसमें लिखा होगा कि कौन अधिकारी क्या काम, कितने समय में करेगा। लेकिन कोई अधिकारी यदि सिटीज़न चार्टर की अवहेलना करता है तो क्या होगा? सरकारी बिल इसके बारे में खामोश है। तो सवाल उठता है कि सरकारी अधिकारी सिटीज़न चार्टर को क्यों मानेंगे।	अन्ना का कहना है कि सिटीज़न चार्टर की अवहेलना पर अधिकारी के ख़िलाफ लोकपाल दंड लगायेगा, जो नागरिक को मुआवज़े के रूप में दिया जायेगा।
लोकपाल के सदस्यों का चयन	1) दस सदस्यों की चयन समिति में 6 नेता होंगे और 5 सत्ता पक्ष के सदस्य होंगे (ऐसी समिति के जरिये तो सरकार अपने मनमाने, भ्रष्ट और कमज़ोर व्यक्तियों को ही लोकपाल बनाएगी। तो लोकपाल बनने के पहले ही सरकार ने उसकी कब्र खोद दी है। 2) चयन की प्रक्रिया चयन समिति तय करेगी।	1) चयन समिति में दो नेता, 4 जज और 2 संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति होंगे। 2) संवैधानिक पदों से रिटायर्ड लोगों की खोज समिति होगी जो प्रथम चरण का चयन करेगी। 3) चयन की काफी विस्तृत प्रक्रिया लिखी गई है जो पूरी तरह से पारदर्शी होगी और जिसमें जनता की पूरी भागीदारी होगी।
लोकपाल के सदस्यों की जवाबदेही	सदस्यों की जवाबदेही सरकार को होगी। केवल सरकार ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हटवा सकती है।	सदस्यों की जवाबदेही आम आदमी के प्रति होगी। कोई भी नागरिक किसी भ्रष्ट सदस्य के ख़िलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हटवा सकता है।

	सरकारी लोकपाल क्या कहता है?	अन्ना का जन लोकपाल क्या कहता है?
लोकपाल के स्टाफ का भ्रष्टाचार	अपने स्टाफ के ख़िलाफ शिकायतें लोकपाल खुद सुनेगा तो उसमें भाई-भतीजावाद होगा। लोकपाल का स्टाफ भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा।	इसलिए, जन लोकपाल बिल में कहा गया है कि लोकपाल से स्वतंत्र, हर राज्य में एक शिकायत आयोग बने जहां लोकपाल के स्टाफ के ख़िलाफ शिकायतों एक महीने में जांच हो और दोषी पाए जाने पर उन्हें सीधे नौकरी से निकाल दिया जाये।
लोकपाल का दायरा	लोकपाल के दायरे में केवल केंद्र सरकार के ग्रुप 'ए' अधिकारी आयेंगे। नीचे के अधिकारी नहीं आयेंगे। राज्य सरकार के अधिकारी भी इसके दायरे से बाहर होंगे। तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? पंचायत का भ्रष्टाचार, सड़क का भ्रष्टाचार, स्कूल/अस्पताल में भ्रष्टाचार की शिकायत आम आदमी कहां करेगा? सरकारी लोकपाल बिल केवल उच्च अधिकारियों के ख़िलाफ है जिनसे अमीरों का पाला पड़ता है।	लोकपाल के दायरे में केंद्र सरकार के सभी अधिकारी होंगे। लोकपाल की तर्ज पर हर राज्य में लोकायुक्त बनाया जाये जिसके दायरे में उस राज्य के कर्मचारी हों। आम आदमी भी किसी भी स्तर के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल या लोकायुक्त में कर सकेगा।
भ्रष्टाचार के ख़िलाफ शिकायत करने वालों का उत्पीड़न	सरकारी बिल के मुताबिक इन्हें संरक्षण देने का काम सीवीसी करेगा जिसके पास न साधन है और न कानूनी शक्तियां।	भ्रष्टाचार के ख़िलाफ लड़ने वालों के खुलेआम कत्ल हो रहे हैं, झूठे मुकदमें दायर कर दिये जाते हैं और उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाता है। उन्हें संरक्षण देने का काम लोकपाल का हो। इसके लिए लोकपाल को समुचित अधिकार होंगे।
भ्रष्ट अफसर को नौकरी से निकालना	भ्रष्ट अफसर को नौकरी से निकालने का अधिकार किसका हो? सरकारी बिल के मुताबिक उसी विभाग का मंत्री ही भ्रष्ट अफसर को निकाल सकता है।	मंत्री को तो अकसर उस विभाग के भ्रष्टाचार से हिस्सा मिलता है। भ्रष्ट अफसर को निकालने की बजाय मंत्री तो उसे ईनाम देगा। जन लोकपाल बिल के मुताबिक भ्रष्ट अधिकारी को निकालने का अधिकार लोकपाल की बेंच को हो, जो खुले में सुनवाई करके ये निर्णय ले।
भ्रष्टाचार के लिए सज़ा	अधिकतम सज़ा 10 वर्ष हो।	अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास हो। यदि व्यक्ति का पद ऊंचा हो तो सज़ा भी ज्यादा हो।

क्या आपको भी लगता है सरकारी बिल ख़तरनाक है?
क्या आप भी सरकारी बिल के ख़िलाफ है?

तो सरकारी बिल के पहले पन्ने की कॉपी लेकर उसे जलाए और अपना सख़्त विरोध ज़ाहिर करें। झुंड के झुंड अपने स्थानीय विधायक और सांसद के पास जाएं और उन्हें भी सार्वजनिक स्थान पर सरकारी बिल जलाने को कहें।

अभियान से जुड़े रहने के लिए 02261550789 पर मिस्ड कॉल करें।

इंडिया अगेन्स्ट करप्शन

ए-119, कौशांबी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश | 09718500606

www.indiaagainstcorruption.org | indiaagainstcorruption.2010@gmail.com | facebook.com/indiacor

जनलोकपाल बिल की जानकारी के लिए यह नम्बर डायल करें : 09212123212